राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

आधार कार्ड नम्बर को मतदाता फोटो पहचान–पत्र से जोड़ने के लिए अन्तिम शिविर आज

झालावाड़ 11 जुलाई/जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 मार्च 2015 से 31 जुलाई 2015 तक मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान के दौरान ज़िले में लगभग 2.30 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नम्बर की सूचना का संकलन कर लिया गया है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी खजान सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान अभी तक एकत्रित किए गए 2.30 लाख मतदाताओं की सूचना में से लगभग 1.63 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड नम्बर की एन्ट्री आयोग के एन.वी.एस.पी. पोर्टल पर कर दी गई है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार आज जिले की चारो विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं के आधार कार्ड नम्बर उनके ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर प्राप्त करेगें। इसके साथ–साथ यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जुड़ने से रह गया है तो उनसे भी प्रपत्र–6 में आवेदन पत्र भरवाकर प्राप्त किए जाऐगें। इसी प्रकार मतदाता सूची में प्रविष्ठी में शुद्धि हेतु एवं मृत, स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र भी प्राप्त किए जाऐगें।

उन्होनें बताया कि इस अभियान के दौरान आयोग द्वारा ऐसे मतदाता, जिनके पास एक से अधिक मतदाता पहचान–पत्र हैं अथवा जिनके नाम एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, उनसे भी एक स्थान की मतदाता सूची मे नाम रखने हेतु घोषणा–पत्र भरवाया जाएगा। उनके द्वारा इस प्रकार की घोषणा करने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उन्होने बताया कि इस अभियान का अन्तिम शिविर आज 12 जुलाई को लगाया जाएगा। उन्होनें मतदाताओं से आव्हान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्र पर जाकर आधार कार्ड का मतदाता सूची में पंजीयन करवाऐं। इसके लिए आधार कार्ड की फोटोप्रति साथ लाऐं।

उपज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी मतदाता स्वयं के आधार कार्ड नम्बर को मतदाता सूची के डेटाबेस से लिंक कर सकता है। इस हेतु आयोग द्वारा दो प्रकार की सुविधाऐं प्रदान की गई हैं। यदि किसी मतदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा है, तो भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.eci.nic.in/www.nvsp.in पर जाकर अपने आधार कार्ड नम्बर को मतदाता सूची के साथ जोड़ सकते एवं इन्टरनेट सुविधा के अभाव में अपने मोबाईल फोन से टेलीफोन नम्बर 51969 या 166 या 199 पर ECILINK space <EPIC Number> space <Aadhar number> अंकित कर एस.एम.एस. कर सकते हैं। इस अभियान के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिले के सभी निर्वाचक रजि. अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से आव्हान किया कि यदि पंजीकृत मतदाता जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है, वे अपने आधार नम्बर को मतदाता सूची के डेटाबेस से लिंक करवाऐं जिससे समय–समय पर निर्वाचन संबंधी जानकारी उन्हें घर बैठे मिल सके।

———————